□□□□ □□□□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्रा□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□□□□□

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख्□□: 917
23 □□□□□, 2021 □□ □□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्□□

□□ष्□□न भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य □□□□□

917. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्□ □□□□□□ □□□□□:
श्□ □□□□ □□□□ □□□:
श्□ □□□ □□□□□□:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री राजीव प्रताप रूडी:
श्□ □□□□ □□□□:
श्री सुमेधा नन्दप सरस्वाती:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(□) आयुष्मान भारत योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसमें अंतर्ग्रस्त प्रक्रिया निर्धारित लक्ष्य, हुई प्रगति, आवंटित निधि, लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या, विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान जारी किए गए आयुष्मान कार्ड, कवर किए गए चिकित्सा उपचार तथा निष्पादित चिकित्सा दावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(□) इसके तहत संस्वीकृत तथा पैनलबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित सी.एच.सी., पी.एच.सी., ए.बी.-एच.डब्ल्यू.सी. और अन्य पैनलबद्ध अस्पताल तथा सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(□) क्या सरकार का एबीवाई के अंतर्गत उप-केंद्रों और पीएचसी का संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में उन्नयन करने का विचार है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(□) क्या सरकार का ए.बी.वाई के अंतर्गत कैंसर सहित लंबी अवधि के पुराने रोगों से पीड़ित रोगियों को कवर करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस पर क्या कारवाई की गई है और इसके अंतर्गत किन किन लोगों को कवर किया गया है;

(□) क्या सरकार का आयुष्मान भारत योजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रभावी नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(□) क्या सरकार के संज्ञान म विशेषकर असम म, ऐसे मामले आए ह जिनम पात्र लाभार्थियां को ए.वी.वाई. तहत छोड़ दिया गया, कवर नहीं किया यदि हां, तो इस संबंध म राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार क्या सुधारात्मक उपाए किए गए ह; और

(□) क्या सरकार उक्त योजना म तकनीकी मदद के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग के लिए समझौता कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

□त□□

स□□स्थ□ और परिवार कल्या□ □□ज□ □त्री (□. □□□□□ प्र□□□ □□□□)

(क) : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को शुरूआत दिनांक 23 सितंबर 2018 को को गई। एबी-पीएमजेएवाई को मुख्य विशेषताएं अनुलग्नक-I पर दी गई ह।

जहां तक निहित प्रक्रिया का संबंध है, एबी-पीएमजेएवाई एक पात्रता आधारित योजना है। सभी पात्र लाभार्थी परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों म कायान्वयन के दिन से कवर होते ह। एबी-पीएमजेएवाई म नामांकन को आवश्यकता नहीं होती है । तथापि, लाभार्थी को सच्चाई को पुष्टि करने के लिए लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया शुरू को जा रही है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप म स्वास्थ्य लाभों को आसान उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सभी पात्र लाभार्थियां को आयुष्मान काड जारी किए जाते ह।

एबी-पीएमजेएवाई के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं ह क्योंकि यह योजना स्वास्थ्य परिचया सेवाओं के लिए लाभार्थी मांग के आधार पर संचालित होती है। योजना का कायान्वयन करने वाले राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के सभी पात्र लाभार्थी इस योजना के शुरूआत के दिन से पात्र होते ह।

लगभग 23000 पैनलबद्ध स्वास्थ्य परिचया प्रदाताओं (ईएचसीपी) के एक नेटवक के जरिए 24315 करोड़ रूपए को कुल 1.96 करोड़ अस्पताल भर्ती हुई ह। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

चालू वित्त वष 2021-22 के लिए योजना के लिए 6400 करोड़ रूपए को निधियां आवंटित को गई ह

कोविड-19 के प्रारंभ होने पर एबी-पीएमजेएवाई ने यह सुनिश्चित करके स्वास्थ्य परिचया इको प्रणाली को मूल्यवान सहयोग प्रदान किया कि लाभार्थी पंजीकरण को प्रक्रिया सक्रिय रहे और पैनलबद्ध अस्पताल योजना के लाभार्थियां को सेवाएं प्रदान करते रहे। तथापि, आवागमन पर प्रतिबंध, चयनात्मक शल्य चिकित्सा पर प्रतिबंध, संक्रमण के डर के कारण अस्पताल जाने के संबंध म योजना के लाभार्थियां को अनिच्छा और जन सुविधा कद्रों को समर्पित कोविड कद्रों के रूप म नामित किए जाने जैसे कारकों के चलते योजना के अंतगत प्रवेश पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। दिनांक 1 माच, 2020 से 19 जुलाई, 2021 को अवधि के दौरान एबी-पीएमजेएवाई के अंतगत अस्पताल म लगभग 11862 करोड़ रूपए मूल्य को लगभग 1.05 करोड़ भर्ती को गई।

दिनांक 20.07.2021 की स्थितिनुसार योजना के लाभार्थियों को कुल 16.14 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

(ख) एबी-पीएमजेएवाई केवल अंतरंग-रोगी उपचार के लिए सेवाएं प्रदान करती है इसलिए केवल अंतरंग रोगी उपचार प्रदान करने वाले अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध किया जाता है।

तदनुसार, एनएचए ने अस्पतालों को पैनलबद्ध करने संबंधित दिशा निर्देश विकसित किए हैं। एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पतालों को सामान्य उपचार और विशेष स्पेशियलियटी के अंतर्गत उपचार हेतु पैनलबद्ध किया जाता है। एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पताल के पैनलबद्ध होने संबंधित दिशा निर्देशों तक पीएमजेएवाई वेबसाइट (https://pmjay.gov.in/sites/default/files/2020-06/Empanelment-and-De-empanelment-guidelines.pdf) पर पहुंचा जा सकता है।

चूंकि एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पतालों को प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा पैनलबद्ध किया जाता है इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आपूर्ति एवं मांग सहित स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर पैनलबद्ध करने संबंधी मानदंडों में संशोधन करने की रियायत प्रदान की गई है।

दिनांक 20 जुलाई 2021 की स्थितिनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत लगभग 23000 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है। पैनलबद्ध अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-III पर दिया गया है।

(ग) आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के अंतर्गत भारत सरकार स्वास्थ्य परिचर्या को समुदाय के समीप लाने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का उन्नयन करके 150000 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिनांक 20 जुलाई 2021 की स्थितिनुसार पूरे देश में 77406 एबी-एचडब्ल्यूसी परिचालित हैं। इनका ब्यौरा अनुलग्नक-IV पर दिया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक-V पर दिया गया है।

(घ) एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत 26 विभिन्न विशेषज्ञताओं जैसे कि चिरकालिक रोग कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य गैर संचारी रोगों तथा गुर्दा और कोर्नियल प्रत्यारोपण के अंतर्गत कुल 1669 प्रक्रियाओं के संबंध में उपचार प्रदत्त किया जाता है। पैकेजों का विशेषज्ञता वार ब्यौरा अनुलग्नक-VI में दिया गया है।

इस स्कीम के तहत सर्जिकल ऑकोलॉजी के साथ साथ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पैकेजों को कैंसर उपचार के भाग के रूप में कवर किया गया है।

इसके अतिरिक्त अविनिर्दिष्ट पैकेजों की एक ऐसी श्रेणी भी है जिसे स्वास्थ्य लाभ पैकेजों में परिभाषित नहीं की गई प्रक्रियाओं के लिए बुक किया जा सकता है।

(□.) एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत आधुनिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदानगी के लिए एनएचए द्वारा निम्नलिखित उपायों को अपनाया गया है।

- एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनलबद्ध सार्वजनिक अस्पतालों को योजना के अंतर्गत प्रदत्त उपचार के लिए उनके निजी क्षेत्र के समकक्षों के बराबर लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है। ऐसे संस्थानों द्वारा इन निधियों का उपयोग अवसंरचनात्मक विकास और आधुनिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। एनएचए ने इसे प्रोत्साहित करने के लिए एसएचए और सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों को आवश्यक दिशा निर्देश एवं निदेश जारी किए हैं। अनेक राज्यों ने सार्वजनिक अस्पतालों के लिए आवंटित निधियों का उपयोग अवसंरचनात्मक उन्नयन और लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया है।
- एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत देश में शीर्ष कॉरपोरेट अस्पतालों को पैनलबद्ध करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण का अनुसरण किया जा रहा है।
- एनएचए ने पैनलबद्ध अस्पतालों के लिए एक गुणवत्तापूर्ण प्रमाणन कार्यक्रम विकसित करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ एक साझेदारी की है। एबी-पीएमजेएवाई के गुणवत्ता परख प्रमाणन में कांस्य, रजत एवं स्वर्ण गुणवत्ता प्रमाणन शामिल हैं। एबी-पीएमजेएवाई स्वर्ण, रजत और कांस्य प्रमाणन प्राप्त करने वाले अस्पतालों को क्रमश: 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत उच्चतर पैकेज दर प्रदान की जाती हैं। दिनांक 19 जुलाई 2021को स्थितिनुसार इस योजना के अंतर्गत 200 से भी अधिक पैनलबद्ध अस्पतालों को गुणवत्ता हेतु प्रमाणित किया गया है।
- इसके अलावा यदि एक पैनलबद्ध अस्पताल प्रारंभिक स्तरीय प्रत्यायन प्राप्त करता है तो उसे मानक पैकेज दरों से 10 प्रतिशत अधिक दर पर उपचार लागत की प्रतिपूर्ति करके प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार, पूर्ण एनएबीएच प्रत्यायन प्राप्त करने वाले एक एबी-पीएमजेएवाई पैनलबद्ध अस्पताल को 15 प्रतिशत उच्चतर दर का भुगतान किया जाता है।

इन प्रोत्साहनों को एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत आधुनिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदानगी के संवर्धन हेतु डिजाइन किया गया है।

(□): एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थी परिवारों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमश: अभावग्रस्तता के 6 मानदंडों और 11 व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर एसईसीसी, 2011 डाटा बेस से विनिर्दिष्ट किया गया है। ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत परिवारों के समावेशन के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, स्कीम के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के साथ लाभार्थी डाटा बेस को स्थिर कर दिया गया है।

इसके साथ-साथ यह भी नोट किया जाए कि स्कीम को लागू कर रहे 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने ही खर्च पर एसईसीसी, 2011 से परे अन्य श्रेणियों को भी एबी-पीएमजेएवाई में शामिल करके इसका दायरा बढ़ा दिया है। 20 जुलाई, 2021 तक एबी-पीएमजेएवाई के तहत लगभग 13.44 करोड़ लाभार्थी परिवारों को कवर किया गया है।

असम के संबंध में यह नोट किया जाए कि एबी-पीएमजेएवाई के अतिरिक्त सरकार 'अटल अमृत अभियान'' (एएए) नामक स्थानीय स्वास्थ्य बीमा स्कीम कार्यान्वित कर रही है।

एएए एक नामांकन आधारित स्कीम है जिसके अंतगत राज्य म प्रत्येक हकदार परिवार को प्रतिवष 2 लाख रूपए तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रति वष 1.2 लाख और 5 लाख रूपए के बीच की वार्षिक आय वाले गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) की श्रेणी के परिवारों भी प्रति सदस्य प्रति वष 100 रूपए का नाममात्र का प्रीमियम देकर एएए का लाभ उठा सकते ह। इस प्रकार पात्र लाभार्थी इनम से किसी भी स्कीम की सेवाओं का लाभ उठा सकते ह।

(□): राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन कराने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग किया है। इस संबंध म ''पीएमजेएवाई के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों म गुणवत्ता को सुचारू बनाने'' पर अध्ययन इन तीन राज्यों हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश म कराया जा रहा है।

1. एबी-पीएमजेएवाई विश्व की सबसे बड़ी सरकारी निधियन स्वास्थ्य संरक्षण योजना है।
2. एबी-पीएमजेएवाई म द्वितीयक तथा तृतीयक अस्पताल भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवष 5 लाख रु. तक का स्वास्थ्य आश्वासन उपलब्ध है।
3. एबी-पीएमजेएवाई पूण रूप से नकदी रहित (कैशलैस) तथा कागज़ रहित योजना है।
4. एबी-पीएमजेएवाई के अन्तगत लाभ पूरे देश म सुवाह्य ह।
5. परिवार के आकार अथवा आयु अथवा लिंग की कोई बंदिश नहीं है।
6. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अन्तगत लाभार्थी परिवारों की पहचान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से सामाजिक आर्थिक जाति-जनगणना (एसईसीसी), 2011 से चयनित वंचन तथा व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर की गई है। ब्यौरा नीचे दिया गया है।

□□□□□□ 2011 □□□□□□ □□□-पीएमजेएवाई के अंतगत पात्रता मानदंड की विस्तृत सूची

स्वत: शामिल:

1. बेघर परिवार
2. निराश्रित/भिक्षा पर जीने वाले
3. हाथ से कूड़ा बीनने वाले परिवार
4. आदिम जनजातीय समूह
5. कानूनी रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर

ग्रामीण क्षेत्र म अभाव ग्रस्तता मानदंड:

डी1: कच्ची दीवारों और कच्ची छत वालाकेवल एक कमरा
डी2: 16 से 59 वष के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं
डी3: 16 से 59 वष के किसी वयस्क पुरुष सदस्य-रहित महिला मुखिया वाले परिवार
डी4: दिव्यांग सदस्य और कोई अक्षम वयस्क सदस्य
डी5: अ.जा/अ.ज.जा परिवार
डी7: भूमिहीन परिवार जिनकी उनकी आय का बड़ा हिस्सा मैनुअल कैजुअल लेबर से प्राप्त होता हो

शहरी क्षेत्रों म व्यावसायिक मानदंड:

1. कूड़ा उठाने वाला
2. भिखारी
3. घरेलू नौकर
4. स्ट्रीट वडर/कॉबलर/हॉकर/सड़कों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता

5. निमाण श्रमिक/प्लंबर/मेसन/मजदूर/पटर/वेल्डर/सुरक्षा गाड/कुली और सिर पर बोझ ढोने वाले अन्य कामगार
6. स्वीपर/स्वच्छता कायकता/माली
7. घरेलू कामगार/कारीगर/हस्तशिल्प कामगार/दर्जी
8. परिवहन कमचारी/ड्राइवर /कंडक्टर/ड्राइवर और कंडक्टर का हेल्पर/गाड़ी खींचने वाला/रिक्शा चालक ।
9. दुकानदार/सहायक/छोटे प्रतिष्ठान म चपरासी/सहायक/डिलीवरी सहायक/परिचर/वेटर
10. इलेक्ट्रीशियन/मैकेनिक/असबलर/मरम्मत कामगार/वॉशर-मैन/चौकीदार

7. एसईसीसी,2011 के अंतगत पात्र लाभार्थियों की संख्या 10.74 करोड़ (50 करोड़ लोग) है। एबी-पीएमजेएवाई का कायान्वयन कर रहे 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 13.44 करोड़ परिवारों (65 करोड़ लोग) को शामिल करके इस स्कीम की कवरेज म विस्तार किया है।
8. एबी-पीएमजेएवाई पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ओडिशा को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों म कायान्वित की जा रही है।
9. यह स्कीम देश भर म एक त्रि स्तरीय मॉडल के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का संबद्ध कायालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पूण कायात्मक स्वायत्ता के साथ देश भर म एबी-पीएमजेएवाई का क्रियान्वयन करने वाला शीष निकाय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर एबी-पीएमजेएवाई के कारगर कायान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य एजसियां स्थापित की गई ह। स्कीम के हित धारकों के बीच बुनियादी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए और सुचारू कायान्वयन के लिए जिला कायान्वयन ईकाइयां स्थापित की गई ह।
10. एबी-पीएमजेएवाई पूण रूप से सरकार द्वारा वित्त-पोषित है और लागत वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वतमान निदशों के अनुसार कद्र तथा राज्य सरकारों के बीच निर्धारित अनुपात म साझा की जाती है।
11. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके बेहतर अनुकूल प्रचालनात्मक-मॉडल म इस योजना को क्रियान्वित करने की छूट दी गई है। इस प्रकार, एबी-पीएमजेएवाई इंश्योरस मोड, मिक्स्ड मोड तथा ट्रस्ट-मोड म क्रियान्वित की जा रही है।

जारी किए गए आयुष्मान कार्ड, [illegible] अस्पतालों में दाखिले और एबी-पीएमजेएवाई से जुड़ी योजनाओं का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए आयुष्मान कार्ड#	अधिकृत अस्पताल भर्तियां	अधिकृत अस्पताल में भर्ती की लागत (रुपये में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	33,844	651	16,011,653
आंध्र प्रदेश*	11	1,245,956	35,454,214,219
अरुणाचल प्रदेश	22,726	1,812	31,559,579
असम	12,420,824	252,251	3,749,546,919
बिहार	6,869,237	287,389	2,770,023,718
चंडीगढ़	63,524	11,406	81,696,009
छत्तीसगढ	13,240,939	1,551,997	15,108,847,365
दादरा और नगर हवेली | दमन और दीव	416,028	67,444	455,095,733
गोवा	21,867	10,282	331,417,452
गुजरात	7,641,318	2,426,337	36,636,319,474
हरियाणा	2,616,418	290,815	3,588,146,295
हिमाचल प्रदेश	1,075,101	96,035	1,077,353,995
जम्मू और कश्मीर	4,794,200	200,034	1,860,995,910
लद्दाख	93,516	1,615	18,187,716
झारखंड	8,992,890	867,385	8,767,034,692
कर्नाटक	9,782,602	1,581,386	17,576,957,813
केरल	6,621,730	2,478,238	19,135,502,001
लक्षद्वीप	1,636	1	1,800
मध्य प्रदेश	24,791,352	853,881	12,140,065,052
महाराष्ट्र	7,162,216	479,528	12,416,017,419

मणिपुर	313,634	36,759	453,214,817
मेघालय	1,655,716	287,303	2,210,910,884
मिजोरम	356,647	55,878	576,271,260
नगालड	258,083	19,194	277,952,667
पुदुचेरी	250,454	6,184	31,688,824
पंजाब	7,021,511	756,583	8,631,451,965
राजस्थान*	-	1,336,147	7,809,870,450
सिक्किम	36,667	4,012	37,808,637
तमिलनाडु	24,727,508	3,102,787	38,240,413,903
त्रिपुरा	1,255,479	99,404	670,014,773
उत्तर प्रदेश	14,189,874	769,531	7,965,274,653
उत्तराखंड	3,973,158	308,192	3,960,546,591
पश्चिम बंगाल@	-	17,636	170,981,470
अपरिभाषित	762,296	122,244	903,192,165

नोट:

** - राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी कार्ड धारकों का विवरण उपलब्ध नहीं है*

 # - कुल आयुष्मान कार्ड डेटा में राज्य आईटी सिस्टम का उपयोग करके राज्य द्वारा जारी किए गए 4.68 करोड़ लाभार्थी कार्ड भी शामिल हैं

@ - पश्चिम बंगाल शुरुआत में इस योजना को लागू कर रहा था। 10 जनवरी 2019 को, राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन से हटने का फैसला किया

& - कुछ लेनदेन के लिए राज्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कुछ कार्यान्वयन डेटा ऑफ़लाइन साझा किया गया था

अनुलग्नक – III

<u>एबी-पीएमजेएवाई में पैनलबद्ध अस्पतालों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सूची list</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएच सी	सीएच सी	अन्य सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	कुल अस्पताल
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह			3	0	3
आंध्र प्रदेश			774	565	1339
अरुणाचल प्रदेश	2	3	35	1	41
असम	12	15	185	159	371
बिहार	265	152	193	266	876
चंडीगढ़		1	7	18	26
छत्तीसगढ	720	162	133	442	1457
दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	0	3	4	0	7
दिल्ली			32	64	96
गोवा	7	6	6	13	32
गुजरात	310	222	1367	530	2429
हरयाणा		95	81	391	567
हिमाचल प्रदेश	3	35	111	82	231
जम्मू और कश्मीर	1	44	138	43	226
लद्दाख		7	3	0	10
झारखंड	2	143	130	514	789
कर्नाटक			2894	542	3436
केरल	1	33	158	520	712
लक्षद्वीप		2	4	0	6
मध्य प्रदेश	8	277	167	419	871
महाराष्ट्र			296	669	965
मणिपुर	4	9	46	11	70
मेघालय	112	27	25	18	182
मिजोरम	54	4	31	5	94
नगालैंड	34	20	30	14	98
उड़ीसा			30	1	31
पुदुचेरी		4	8	11	23

पंजाब	2	133	109	634	878
राजस्थान		2	594	189	785
सिक्किम			10	1	11
तमिलनाडु			1541	1580	3121
तेलंगाना			12	17	29
त्रिपुरा	79	22	37	2	140
उत्तर प्रदेश	19	820	263	1612	2714
उत्तराखंड		62	62	101	225
पश्चिम बंगाल			61	7	68

□□□ग□□ - IV

<u>20 □□□□ 2021 तक कार्यात्मक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र 2021</u>

क्र. सं.	राज्य	20 जुलाई 2021 को कार्यात्मक एचडब्ल्यूसी			
		एसएचसी-एचडब्ल्यूसी*	पीएचसी-एचडब्ल्यूसी **	यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी ***	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	58	17	5	80
2	आंध्र प्रदेश	2,904	1,145	243	4,292
3	अरुणाचल प्रदेश	136	63	4	203
4	असम	1,539	617	53	2,209
5	बिहार	1,057	1,019	98	2,174
6	चंडीगढ़	0	28		28
7	छत्तीसगढ	2,457	634	45	3,136
8	दादरा और नगर हवेली	52	8		60
	दमन और दीव	26	4		30
9	गोवा	53	54	5	112
10	गुजरात	4,468	1,469	316	6,253
11	हरयाणा	430	360	100	890
12	हिमाचल प्रदेश	554	497	14	1,065
13	जम्मू और कश्मीर	915	378	16	1,309
14	झारखंड	1,378	177	54	1,609
15	कनाटक	3,298	2,166	365	5,829
16	केरल	1,520	859	93	2,472
17	लद्दाख	69	20		89
18	लक्षद्वीप	0	3		3
19	मध्य प्रदेश	5,098	1,124	145	6,367
20	महाराष्ट्र	6,376	1,824	457	8,657
21	मणिपुर	154	55	2	211
22	मेघालय	182	78	19	279
23	मिजोरम	120	53	8	181
24	नगालड	168	48	7	223
25	उड़ीसा	316	1,229	90	1,635
26	पुदुचेरी	80	39	2	121

27	पंजाब	2,270	328	93	2,691
28	राजस्थान	160	1,957	280	2,397
29	सिक्किम	74	16	1	91
30	तमिलनाडु	3,027	1,381	460	4,868
31	तेलंगाना	1,875	634	223	2,732
32	त्रिपुरा	241	33	5	279
33	उत्तर प्रदेश	6,644	1,656	435	8,735
34	उत्तराखंड	536	359	38	933
35	पश्चिम बंगाल	4,041	783	339	5,163
कुल		52,276	21,115	4,015	77,406

दिल्ली एचडब्ल्यूसी कार्यक्रम लागू नहीं करता है

*- उप स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र

**- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र

***- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र

आयुष्मान भारत गतिविधि के लिए केंद्रीय रिलीज (आवंटन) - वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018-19 म आवंटन	2019-20 म आवंटन	2020-21 म आवंटन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.80	0.85	1.16
2	आंध्र प्रदेश	43.51	52.44	59.38
3	अरुणाचल प्रदेश	8.15	8.59	14.80
4	असम	68.67	97.60	89.69
5	बिहार	88.50	88.78	119.22
6	चंडीगढ़	0.71	0.84	1.51
7	छत्तीसगढ़	36.42	65.66	28.08
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.13	1.64	2.09
9	दिल्ली	-	-	-
10	गोवा	0.79	1.26	0.88
11	गुजरात	44.64	49.98	69.75
12	हरयाणा	18.45	24.03	29.02
13	हिमाचल प्रदेश	16.08	27.21	25.87
14	जम्मू और कश्मीर	32.66	38.88	39.27
15	झारखंड	26.02	75.81	-
16	कनाटक	47.98	54.70	75.51
17	केरल	18.43	21.65	27.73
18	लक्षद्वीप	0.18	0.26	0.24
19	मध्य प्रदेश	87.74	87.82	140.35
20	महाराष्ट्र	91.27	97.64	138.60
21	मणिपुर	5.44	9.22	8.06
22	मेघालय	8.64	12.46	9.17
23	मिजोरम	4.03	5.19	5.25
24	नगालड	5.01	5.34	6.22
25	ओडिशा	48.34	95.49	77.06
26	पुदुचेरी	14.46	0.22	-
27	पंजाब	19.69	20.39	22.17
28	राजस्थान	83.70	68.64	62.63
29	सिक्किम	2.16	1.62	2.71

30	तमिलनाडु	56.41	89.12	82.65
31	त्रिपुरा	10.18	13.57	9.27
32	उत्तर प्रदेश	176.10	330.85	279.52
33	उत्तराखंड	19.62	30.31	26.93
34	पश्चिम बंगाल	59.47	61.55	99.44
35	तेलंगाना	46.14	33.70	35.94
36	लद्दाख			7.36
कुल		1,191.52	1,573.31	1,597.53
नोट: 1. उपरोक्त विज्ञप्तियां केंद्र सरकार से संबंधित हैं। अनुदान और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।				

□□□□□□ – VI

<u>एबी-पीएमजेएवाई के तहत पैकेज और प्रक्रियाओं का विशेष विवरण</u>

क्र. सं.	विशेषज्ञता	□□□□□□ 2.1		
		□□□	□□□	प्रक्रि□□□□
1	बर्न्स प्रबंधन	BM	6	21
2	कार्डियलजी	MC	21	27
3	कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सजरी-	SV	35	129
4	आपातकालीन कक्ष पैकेज	ER	3	4
5	सामान्य दवा	MG	81	106
6	जनरल सजरी	SG	105	159
7	संक्रामक रोग	ID	3	3
8	इंटरवशनल न्यूरोरेडियोलॉजी	IN	10	15
9	चिकित्सा ऑन्कोलॉजी	MO	72	264
10	मानसिक विकार पैकेज	MM	10	10
11	नवजात देखभाल पैकेज	MN	10	10
12	न्यूरोसजरी	SN	61	94
13	प्रसूति एवं स्त्री रोग	SO	60	80
14	नेत्र विज्ञान	SE	41	54
15	ओरल एंड मैक्सिलोफ़ेसियल सजरी	SM	14	19
16	हड्डी रोग	SB	74	134
17	अंग और ऊतक प्रत्यारोपण	OT	1	6
18	ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी	SL	35	79
19	बाल चिकित्सा चिकित्सा प्रबंधन	MP	48	67
20	बाल चिकित्सा सजरी	SS	19	35
21	प्लास्टिक और पुर्ननिर्माण सजरी	SP	8	12
22	पॉलीट्रामा	ST	10	23
23	विकिरण कसर विज्ञान	MR	14	46
24	सर्जिकल ऑन्कोलॉजी	SC	80	125
25	उरोलोजि	SU	96	146
26	अनिर्दिष्ट सर्जिकल	US	1	1
	□□		918	1669